


फ्राई कैचिंग नेट हेतु अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना।

एतद् द्वारा जाल/हापा के निर्माता अथवा विक्रता को सूचित किया जाता है कि सरकार के संचिव का पत्रांक 05 (रा0) विभाग दिनांक 16/07/2020 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में गिरिडीह जिला के निबंधित मत्स्य बीज उत्पादकों को फ्राई कैचिंग नेट देने के लिए उसके क्रय करने हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक 08/08/2020 को अपराहन 2:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार किये जाएंगे।

निविदा की शर्तें

1. जाल का आकार 20 मीटर X 5 मीटर होना चाहिए। जाल नॉयलोन धागे का होना चाहिए। जिसके उपर एक नीचे नॉयलोन की रस्सी लगा होना अनिवार्य होगा।
2. निविदा में आपूर्ति की जाने वाली जाल का नमूना स्वरूप देना होगा।
3. निविदादाता को जाल का दर (परिवहन सहित) प्रतिमीटर लम्बाई की दर से अंकित करना होगा।
4. जाल की न्यूनतम चौड़ाई 5 मीटर अनिवार्य है।
5. निविदादाता को पैन, अद्यतन GST एवं आयकर रिटर्न (2017-18, 2018-19, 2019-20) स्व अभिप्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य है।
6. निविदादाता को न्यूनतम तीन वर्ष का सरकारी क्षेत्र में फ्राई कैचिंग नेट आपूर्ति से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
7. फ्राई कैचिंग नेट प्रतिमीटर (5मीटर x 1मीटर) का मुल्य (GST एवं परिवहन सहित) 66.67 रूपया (छियासठ रूपया सरसठ पैसा) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय अंकित करते हुए दोनो बंद लिफाफे को एक बंद लिफाफे में डालकर निविदा बक्से में डालना होगा।
9. जाल की आपूर्ति गुणवत्ता के अनुसार नहीं किए जाने पर संबंधित को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त की जाएगी तथा उक्त दर पर द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जाएगा।
10. निविदा में प्रतिभूति राशि के रूप में मो0 25,000.00 (पच्चीस हजार) रू0 का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गिरिडीह के पदनाम से गिरिडीह में भुगतये होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. दिनांक 08.08.2020 को समय 3.00 बजे जिला मत्स्य कार्यालय में निविदा खोली जाएगी। निविदादाता चाहें तो स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
12. विभाग हित में निविदा की शर्तों में बिना कारण बताए, किसी भी समय बगैर पूर्व सूचना के परिवर्तन करने, निविदा निरस्त करने/स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
13. विवाद की स्थिति में विवाद का निराकरण, गिरिडीह जिले के न्यायालय क्षेत्र में ही मान्य होगा।


जिलामत्स्य पदाधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालकपदाधिकारी,
गिरिडीह।